न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 106 सन 2019
अनवान :–

1. भगवानसिह पुत्र मानसिह जाति राजपुत साकिन मेधाना तहसील नोहर।

बनाम

1. मानसिह पुत्र गणेशसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
2. इन्द्रसिह 3 जगदीशसिह 4 प्रभूसिह 5 देवीसिह 6 सुप्यार पि0 मानसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
7. सायल कंवर पत्नी मानसिह जाति राजपुत साकिन मेधाना तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 213/202 के खसरा न0 226/3 की 3.6040हैक खसरा न0 227/2 की 0.3790हैक खसरा न0 294/1 की 10.6230हैक खसरा न0 251 की 1.6440हैक खसरा न0 306/0.3160हैक कुल 16.5660हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा गणेशसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई और प्रतिवादी सख्या 1 जो वादी का पिता है के हिस्से में वाद भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष मे किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,6, 7 जो वादी की पिता/बहने/माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पुत्र/पति के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,6 , 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,,6, 7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 213/202 के खसरा न0 226/3 की 3.6040हैक खसरा न0 227/2 की 0.3790हैक खसरा न0 294/1 की 10.6230हैक खसरा न0 251 की 1.6440हैक खसरा न0 306/0.3160हैक कुल 16.5660हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Zaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official